कार्यालय प्रधान जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, भोपाल (मध्यप्रदेश)
संशोधित कार्य–विभाजन आदेश

कमांक 54/सां0अनु0/2024 भोपाल, दिनांक मई, 2024
(एक-02-01/2022 Pt. -02)

प्रशासनिक एवं न्यायालयीन कार्य–सुविधा की दृष्टि से इस कार्यालय द्वारा जारी सिविल/आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्र. 43/सां.अनु./2024 पृष्ठांकन क. 2618 दिनॉक 16 अप्रैल, 2024 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

1. कार्यविभाजन आदेश के सरल क. 01 के स्तम्भ क. 04 में उल्लेखित कंडिका "(J) के बाद नवीन कंडिका "(K) ग्यारहवें जिला न्यायाधीश के समक्ष मोटर दुर्घटना दावा के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन एवं इजरा में आवश्यक भुगतान संबंधी कार्यवाहिया विधिवत संपादित की जायेगी।" जोड़ी जाती हैं।
2. कार्यविभाजन आदेश के सरल क. 12 (श्री नीतिराज सिसौदिया) के स्तम्भ क. 04 में उल्लेखित कंडिका "(C)" के बाद नवीन कंडिकाए "(D) श्री लोकेश तारन, सुश्री संजना सरल एवं श्री अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के न्यायालय द्वारा निराकृत आपराधिक प्रकरणों में पारित निर्णय एवं आदेश के विरूद्व प्रस्तुत आपराधिक अपीलें। (E) प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, भोपाल के निर्णयों/आदेश के विरूद्ध धारा 101(2) के अंतर्गत प्रस्तुत आपराधिक अपीलें।" जोड़ी जाती हैं।
3. कार्यविभाजन आदेश के सरल क. 14 (श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव) के स्तम्भ क. 04 में उल्लेखित कंडिका "(C) एवं (D)" को विलोपित किया जाता हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)।

पृ0 कमांक 3267/सां0अनु0/2024 दिनांक 10 मई, 2024
(एक-02-01/2022 Pt. -02)

प्रतिलिपिः–

1. विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि., भोपाल,
2. समस्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, भोपाल/बैरसिया
3. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड, भोपाल/बैरसिया
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, भोपाल की ओर समस्त न्यायालयों को ई–मेल के माध्यम से भेजने हेतु प्रेषित।
5. अध्यक्ष, जिला बार एसोसिएशन, भोपाल
6. प्रस्तुतकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म.प्र.)।